निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण 1938 (श0)

(सं0 पटना 634) पटना, सोमवार, 1 अगस्त 2016

सं0 08/आरोप–01–232/2014सा.प्र.—8923

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

23 जून 2016

श्री सुरेश कुमार, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1127/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, बलरामपुर, कटिहार, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियां) के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्राक–40, दिनांक 10.01.2008 द्वारा दिनांक 07.01.2008 को रूपये 20 (बीस) हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। श्री सुरेश कुमार के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं०–001/2008, दिनांक 08.01.2008 अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का सं०–49 की धारा–7/13 (2)–सह–पठित धारा–13 (1) (डी) दर्ज किये जाने की सूचना दी गई।

2. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1561, दिनांक 07.02.2008 द्वारा श्री कुमार को सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 (1) (ग) के तहत दिनांक 07.01.2008 के प्रभाव से निलंबित किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप प्रपत्र 'क' पर विभागीय पत्रांक–3517, दिनांक 28.03.2008 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में गठित आरोपों से इन्कार करते हुए कहा कि उन्हें झूठे केस में फँसाया गया है। परिवादी श्री योगेन्द्र पासवान के नाम पर कोई इन्दिरा आवास की राशि बकाया या भुगतेय ही नहीं था तो उनसे पैसा माँगने या लेने का प्रश्न नहीं उठता है। रिश्वत की राशि को तकिया के नीचे से बरामद करने की झूठी मनगढ़त कहानी रची गयी।

3. आरोप एवं स्पष्टीकरण पर सम्यक् रूप से विचारोपरांत वृहद जाँच हेतु सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (2) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6002, दिनांक 24.06.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–346 (अनु०) दिनांक 16.07. 2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आरोपों को पूर्णतया प्रमाणित पाया गया।

4. विभागीय पत्रांक–11046, दिनांक 31.07.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) की माँग की गयी। श्री कुमार द्वारा अपने लिखित अभिकथन में उल्लेख किया कि परिवादी का परिवाद ही झूठा था और उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली थी। उल्लेखनीय है कि परिवादी योगेन्द्र पासवान ने शिकायत की थी कि इन्दिरा आवास के द्वितीय किस्त के भुगतान के लिए दो–दो हजार रूपये प्रति केस की दर से उनसे 20 (बीस) हजार रूपये की माँग की गयी थी, जिसे लेते हुए आरोपित पदाधिकारी गिरफ्तार हुए। जिन व्यक्तियों को इन्दिरा आवास के द्वितीय किस्त का भुगतान किया जाना था, उन सभी मामलों में ग्राम पंचायत से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जिसके कारण भुगतान लंबित था। आरोपी का कहना है कि उनके द्वारा दृढ़ता से कार्रवाई की जा रही थी जिस कारण उन्हें फँसाया गया। उन्हें जबरदस्ती उठाकर होटल में ले जा कर उनके हाथों को रंगा गया और गवाही ली गयी। आरोपी द्वारा धावा दल की कार्रवाई एवं "Post Trap Memorandom" पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया।

5. विभागीय जाँच आयुक्त ने जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को पूर्णतया प्रमाणित पाया। जाँच पदाधिकारी ने आरोप से संबंधित इन्दिरा आवास के अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत पाया कि इन्दिरा आवास के अभिलेख में द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु आदेश फलक पर आदेश पृष्ठांकित किया परन्तु आरोपित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया था। इस आधार पर संचालन पदाधिकारी ने पाया कि रिश्वत माँगने संबंधी परिवाद के पर्याप्त साक्ष्य थे। आरोपित पदाधिकारी के कमरे से बरामद रूपये 20 (बीस) हजार के नोट का क्रमांक वही था जो धावा दल ने पूर्व में ही चिन्हित कर रखा था। उन्होंने धावा दल द्वारा की गई कार्रवाई को भी दोष पूर्ण नहीं पाया। रिश्वत की राशि आरोपित पदाधिकारी के कमरे में तकिये के नीचे से बरामद की गयी। जाँचोपरांत संचालन पदाधिकारी ने सभी आरोपों को पूर्णतया प्रमाणित पाया। इसके आधार पर आरोपित पदाधिकारी के द्वितीय कारण पृच्छा के तहत दिये गये लिखित अभिकथन को स्वीकार योग्य एवं तार्किक नहीं माना जा सकता। आरोपी के लिखित अभिकथन से कहीं भी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि जाँच प्रतिवेदन दोषपूर्ण है अथवा उन्हें समुचित अवसर नहीं दिया गया और उनके पक्ष को सही ढ़ंग से नहीं सुना गया। अतः आरोपित पदाधिकारी के लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

6. इन्दिरा आवास की योजना गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों, जिन्हें पक्का आवास नहीं है के लिए बनी है। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3 में प्रावधान है कि हर सरकारी सेवक सदा :– (i) पूरी शील निष्ठा रखेगा (ii) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा और (iii) ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।

श्री सुरेश कुमार, बि०प्र०से०, सम्प्रति निलंबित, ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, बलरामपुर के रूप में पदस्थापन के दौरान इन्दिरा आवास के निर्माण के लिए रिश्वत की माँग की एवं रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गये। इस तरह उन्होंने ऐसा कार्य किया जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है एवं जो उनके कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। श्री सुरेश कुमार, बि०प्र०से०, सम्प्रति निलंबित के कृत्य से प्रशासन की छवि धुमिल हुई है। आरोपित के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड में विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक–3011, दिनांक 25.06.2008 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी गई।

7. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण एवं जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आरोपित पदाधिकारी श्री सुरेश कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(xi) के तहत सेवा से **''बर्खास्तगी''** जो ''सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी एवं निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन यापन भत्ता ही देय होगा का निर्णय लिया गया।''

8. विभागीय पत्रांक–632 दिनांक 14.01.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री कुमार के विरूद्ध विनिश्चित दंड पर परामर्श की माँग की गई। जिसपर आयोग के पत्रांक–364, दिनांक 06.05.2016 द्वारा दंड प्रस्ताव पर आयोग की पूर्ण पीठ की सहमति संसूचित की गयी।

9. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सुरेश कुमार, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1127/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, बलरामपुर, कटिहार, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियां) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया।

10. श्री सुरेश कुमार, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1127/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, बलरामपुर, कटिहार, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियां) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग के मंतव्य की समीक्षोपरान्त आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है :–

(i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(xi) के तहत ***''सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी''।***

(ii) निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन यापन भत्ता ही देय होगा।

11. श्री सुरेश कुमार, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1127/11, के बर्खास्तगी प्रस्ताव पर मंत्री परिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री सुरेश कुमार, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1127/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, बलरामपुर, कटिहार, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियां) एवं सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 634–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in